संख्या-सा-3-1380/दस-2001-301(40)/2001

प्रेषक,

विजय कुमार शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में;

समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 जुलाई, 2001

विषयः- सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्त किये जाने पर सेवानिवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-सा-3-1152/दस-915-89, दिनांक 01 जुलाई 1989 द्वारा अस्थायी रहते हुए सेवावृत्त हो जाने वाले सरकारी सेवकों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी उसी प्रकार तथा उन्हीं दरों के अन्तर्गत अनुमन्य कराई गयी थी जैसा कि स्थायी कर्मचारियों को उन्हीं परिस्थितियों में संगत नियमों के अन्तर्गत होती है, बशर्ते कि उन्होंने कम से कम 10 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। इसी शासनादेश के प्रस्तर-3 में यह कहा गया था कि " यह व्यवस्था उन मामलों में भी लागू होगी जहाँ अस्थायी रहते हुए 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, के उपरान्त मूल नियम 56 के अन्तर्गत स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने की अनुमन्यता प्रदान की गयी हो "। उक्त के क्रम में शासन के समक्ष यह प्रश्न संदर्भित किया गया है कि जिन मामलों में मूल नियम-56 के अन्तर्गत किसी सरकारी सेवक को राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त किये जाने की अपेक्षा की जाती हो अर्थात् उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है उनमें संबंधित सरकारी सेवकों को क्या सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य किये जायेंगे। उपरोक्त के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संकलन संग्रह खण्ड-2 के भाग-2 से 4 के मूल नियम 56(ड.) के अन्तर्गत " प्रत्येक सरकारी सेवक के जो इस

....2/-

नियम के अधीन सेवानिवृत्त होते हैं या जिससे सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, सुसंगत नियमों के अनुसार और उसके प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए सेवानैवृत्तिक पेंशन देय होगी और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभ, यदि कोई हों, उपलब्ध होंगे।" तदनुसार यदि किसी सरकारी सेवक से मूल नियम-56 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है अर्थात् उसे लोकहित में आनवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है तो उसे सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे।

भवदीय,

§ विजय कुमार शर्मा §
सचिव, वित्त।

संख्या-सा-3-1380§1§/दस-2001-301§40§/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद सचिवालय।
3- राज्यपाल सचिवालय।
4- समस्त संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
5- महालेखाकार, द्वितीय § लेखा एवं हकदारी § उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ।
9- समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
10- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11- समस्त मुख्य लेखा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13- निर्धारित सूची के अनुसार पेंशनसंघों को।

आज्ञा से,